मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश

अधिकांश जिलों में मौसम रहा शुष्क

भोपाल. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं तथा रीवा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई. जबकि शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यत: शुष्क बना रहा.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, नर्मदापुरम, बैतूल, सिंगरौली, सीधी, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में बादल छाए रहे. वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खरगौन, बड़वानी सहित अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहा.

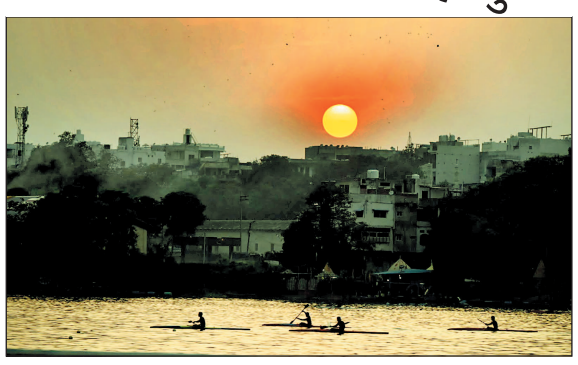

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा वर्तमान में 20ए उत्तर/69ए पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30ए उत्तर/81ए पूर्व से होकर गुजर रही है.

> अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के शेष भागों, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों से मानसून की वापसी की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. इस बीच, पश्चिम-मध्य अरब सागर पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र (चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का अवशेष) सक्रिय है, जिससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. यह प्रणाली अगले 12 घंटों में पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में बढ़ते हुए कमजोर पड़ सकती है.

खंडवा बाल संप्रेषण गृह से 6 बाल अपचारी फरार

- बाथरूम का दरवाजा तोड़कर छत से भागे अपचारी
- मामले में दो जवानों को किया निलंबित

खंडवा,09 अक्टूबर . जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बाल संप्रेषण गृह से गुरुवार सुबह छह बाल अपचारी भाग निकले.

सभी ने सुबह करीब 6 बजे बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसकी छत से भागने की योजना बनाई थी. फरार हुए बालकों में पांच खरगोन जिले के और एक बुरहानपुर जिले का निवासी है. सभी की उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष के बीच बताई जा रही है. इनमें से पांच बाल अपचारी पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में आरोपित हैं, जबकि एक बालक पशु चोरी के मामले में सुधार गृह में रह रहा था. जानकारी के अनुसार, सभी एक-दूसरे के संपर्क में आ गए थे और गुरुवार सुबह टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकले और मौका पाते ही फरार हो गए.

नीमच में पटाखा गोदाम पर सेंट्रल जीएसटी की सर्जिकल स्ट्राइक

नीमच। जैसे-जैसे दीपावली की रौनक बढ़ रही है, वैसे ही सरकार की निगाहें भी तेज हो गई हैं। त्योहार से ठीक पहले, बुधवार को नीमच के महू-नीमच रोड पर स्थित एक बड़े पटाखा गोदाम पर सेंट्रल जीएसटी विभाग ने कार्रवाई करते हुए वहां चल रहे कारोबारी लेन-देन की गहराई से जांच शुरू की। उज्जैन और इंदौर से आई 8 से अधिक अधिकारियों की टीम ने दोपहर में अचानक दबिश दी, जिससे व्यापार जगत में खलबली मच गई। जिस गोदाम में छानबीन की गई वह हुजैफा अबुजर अली (रामपुरा) के नाम से पंजीकृत है और पूर्व में भी विवादों की छांव में रह चुका है। टीम द्वारा गोदाम में मौजूद स्टॉक, बिलिंग रिकॉर्ड, कच्चा और तैयार माल, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर जांच इस ओर इशारा कर रही है कि स्टॉक और बिक्री बिलों में अंतर, और इनवॉइस अपलोडिंग में संभावित गड़बड़ी हो सकती है।

एक नजर में

यादव ने स्व. रतन टाटा की पुण्यतिथि पर किया नमन

भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पद्म विभूषण से सम्मानित महान उद्योगपति स्व. रतन टाटा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार डॉ. यादव ने कहा कि स्व. रतन टाटा ने, न केवल भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपने दूरदर्शी नेतृत्व, मानवीय संवेदना और अटूट देशप्रेम से स्वयं को प्रेरणा-पुरुष के रूप में स्थापित किया। उनका योगदान और सरल व्यक्तित्व भारतीय उद्योग जगत में सदैव स्मरणीय रहेगा.

कैदियों को नशामुक्त जिंदगी शुरू करने की शपथ दिलाई

उमरिया. मध्यप्रदेश के उमरिया जिला जेल के कैदियों को नशे से दूर रहकर एक नई और स्वस्थ जिंदगी शुरू करने की शपथ दिलाई गई. जिला जेल में नशा मुक्ति अभियान के तहत कैदियों को नशे से दूर रहकर एक नई और स्वस्थ जिंदगी जीने की शुरुआत करने की शपथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जे मोहन डाबर और एसडीएम हरप्रीत कलसी ने दिलाई.

अवैध उत्खनन पर कार्रवाई

03 पर मामला दर्ज, 5 वाहन जब्त

सागर,09 अक्टूबर. सागर जिले के बांदरी वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

दमोह सांसद राहुल लोधी और बड़ा मलहरा के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के बहनोई सुरेंद्र सिंह ठाकुर सहित तीन लोगों के खिलाफ वन अपराध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उप वनमंडल अधिकारी शैलष माचरा के नेतृत्व में की गई इस छापामार कार्रवाई में टीम ने मौके से जेसीबी , दो ट्रैक्टर-ट्रॉली, बोलेरो पिकअप और स्कार्पियो गाड़ी जब्त की हैं. कार्रवाई बांदरी के जाजेर खदान के पास की गई, जहां अवैध उत्खनन किया जा रहा था.

वन परिक्षेत्र अधिकारी लखन सिंह ठाकुर ने बताया कि वृत्त बहरोल के अंतर्गत अवैध कटाई और उत्खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

जानकारी के बाद वनमंडल अधिकारी चन्द्रशेखर सिंह द्वारा विशेष टीम गठित की गई थी. कार्रवाई के दौरान सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, रामसिंह लोधी, और धनसिंह लोधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. जब्त वाहनों को वन परिसर में रखा गया है. बताया गया कि कुछ दिन पहले भी इसी खदान में अवैध खेर की लकड़ी की कटाई पकड़ी गई थी, जिसमें आरोपी के बेटे पर भी मामला दर्ज हुआ था.

कार्रवाई में ढ्ढस्नस् अधिकारी (उप वनमंडल अधिकारी उत्तर सागर), रेंजर चन्द्रभूषण सिंह, रेंजर लखन सिंह ठाकुर, जी.पी. शाक्य, प्रशिक्षु रेंजर शिवम तिवारी, वनपाल राहुल यादव, नीरज अंब, सुरेन्द्र सिंह, अनिरुद्ध तिवारी सहित वन परिक्षेत्र बांदरी, बण्डा, खुरई और उत्तर सागर का स्टाफ मौजूद रहा.

खड़े ट्राले में लगी आग . . .कैबिन जलकर राख

रतलाम। बिलपांक थाना क्षेत्र के ग्राम सिमलावदा में सड़क किनारे खड़े ट्राले में आग लग गई। आग से ट्राले के कैबिन पूरू तरह से जलकर राख हो गया। पिछला हिस्सा भी जल गया। सूचना पर रतलाम नगर निगम और बदनावर नगर परिषद से फायर लॉरी लेकर पहुंचे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि कैबिन में खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। अभी तक किसी के हताहत नहीं होने की जानकारी नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात को ग्राम सिमलावदा में महू-नीमच सड़क किनारे खड़े ट्राले में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर बिलपांक पुलिस के साथ ही रतलाम नगर निगम और बदनावर नगर परिषद की फायर लॉरी लेकर मौके पर पहुंचे आर आग पर काबू पाया। फायर बिग्रेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे उसके पहले ट्राले का कैबिन और पिछे का कुछ हिस्सा जल चुका था। माना जा रहा है कि ट्राला चालक और लीनिक कैबिन में खाना बना रहे होंगे उसी दौरान आग लग गई होगी। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि ट्राले में कोई भी नहीं मिला है। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है।

सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि कैबिन में खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। अभी तक किसी के हताहत नहीं होने की जानकारी नहीं मिली है।

गलत साईड से वाहन निकाले में हादसा, महिला घायल

रतलाम। गलत साइड से वाहन निकलने पर एक हादसा हो गया। हादसे में महिला घायल हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

ताल थाना क्षेत्र के ग्राम भूतिया निवासी सत्यनारायण पिता कालुराम मालवीय ने पुलिस को बताया कि कार लेकर ग्राम भूतिया स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल के सामने से गुजर रहा था तभी कार चालक ने रांग साइड से कार तेज गति से लाकर टक्कर मार दी।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव जिला देवास म.प्र.

क्रमांक/मण्डी/निर्माण/25-26/719 दिनांक 09.10.2025

//मण्डी प्रांगण की साफसफाई हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा सर्वसम्बधितों को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति खातेगांव के अंतर्गत मंडी प्रांगण में स्थित ऑक्शन प्लेट फार्म खुला एरिया, केन्टीन, शौचालय, सडके, नालियों आदि की साफ-सफाई एवं कूड़ा-करकट उठाने एवं प्रांगण से बाहर नगर परिषद खातेगांव द्वारा नियत्त स्थान पर फेंकने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत ठेका दिया जाना है। इस हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई.निविदा के पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी। जिसका सिस्टम निविदा क्रमांक 2025_MPSAM_456746_1 है। इस हेतु इच्छुक संस्था अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में मंडी प्रांगण हेतु मंडी बोर्ड के पोर्टल पर दिनांक 14.10.2025 से दिनांक 03.11.2025 तक अपलोड करते हुए 03 लिफाफा पद्धति अनुसार कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति खातेगांव जिला देवास में दिनांक 04.11.2025 को कार्यालयीन समय में सायं 05.30 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 06.11.2025 को अपरान्ह में खोली जावेगी। साफ-सफाई कार्य हेतु धरोहर राशि रु 50000/ रुपये रहेगी जो एफडीआर के रूप में रेवेन्यू टिकट पर हस्ताक्षरयुक्त सचिव कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव के नाम देय होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। धरोहर राशि की एफडीआर एवं योग्य पात्रता होने पर ही ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी।

नोट- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.)

भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव
खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.)

परिशिष्ट बी, संख्यांक 13
(COURTNAME)
{JUDGE_DESIGNATION_NAME}, {TALUKA} {DISTRICT}
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत परकाशन हेतु)
(CASE_RCA-28/2022)
NEXT DATE: (15-10-2025)

श्रीराम वि. रमेश

प्रेषिती:- रमेश पिता रामचरण कलाल, निवासी रानीबाग मेन रोड खंडवा नाका इंदौर म.प्र., सुरेश पता रामचरण कलाल नि. सारसदेव नगर 3 मंजिला अस्पताल के पास मारूति नगर इंदौर म.प्र., कुमारी रिद्धी पिता किशोरीलाल कलाल नि. मारूति नगर दीनदयाल उपाध्याय नगर दुर्गा मंदिर के पीछे सुकलिया इंदौर म.प्र., शांतिबाई पति स्व. किशनगोपाल कलाल नि. शिवधाम कालोनी खंडवा रोड, लिंबोदी इंदौर म.प्र., कमल पिता किशनगोपाल कलाल नि. शिवधाम कालोनी खंडवा रोड, लिंबोदी इंदौर म.प्र.,आश्विन पिता किशनगोपाल कलाल नि. शिवधाम कालोनी खंडवा रोड, लिंबोदी इंदौर म.प्र.

यह कि प्रार्थी **(श्रीराम पिता रामचरण कलाल)** ने आपके विरूद्ध**(CASE_RCA-28/2022)** के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख(07.10.2025) को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
(EMBLEM)

न्यायाधीश, द्वितीय जिला न्यायाधीश, कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.)

टिप्पणी:- अधिक जानकारी वेबसाइट ecourts.gov.in अथवा मोबाइल एप eCourts Services (Android or iOS)से प्राप्त की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	165955565 & 99663920	संपत्ति के बदले ऋण	30.09.2025	5,77,612.94/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. बाबू लाल चौहान 2. अवंता बाई चौहान

संपत्ति का पता: प्लॉट/मकान नंबर 29 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल क्षेत्रफल 817 वर्ग फीट (75.92 वर्ग मीटर) है, फोन नंबर 18, गांव: आमलताज, तहसील: हाटपिपलिया, जिला: देवास, मध्य प्रदेश-455227 पर स्थित है और इसके चारों ओर हैं: पूर्व: मेहरवान सिंह का घर, पश्चिम: मायाराम का घर, उत्तर: स्थानीय सड़क, दक्षिण: स्थानीय सड़क

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 10.10.2025
स्थान: देवास

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

कब्जा नोटिस

क्योंकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (2) के तहत अधिकारों के पालन में देनदार/ सह-देनदार को नोटिस दी व भावी लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, कॉस्ट, चार्ज आदि भुगतान तथा/ अथवा वसूली की तिथि तक वहन किए गए सहित उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों में उक्त कथित लागू दरों पर ब्याज सहित संबंधित नामों के खिलाफ दर्शायी राशि चुकाने को देनदारों से कहा गया था.

क्र.	लोन नं.	देनदार/सह-देनदार/ गारंटर/बंधक	13 (2) नोटिस तिथि/ बकाया राशि (रु.)	तिथि/समय व कब्जा तिथि
1.	30609440000163 और 30609410000220	1) श्री चरण सिंह पुत्र छतर सिंह (प्रो. मेसर्स गुर्जर डेयरी फार्म) 2) श्रीमती हेमा गुर्जर पत्नी चरण सिंह	15.07.2025 08.07.2025 तक रुपये 6,32,627.91 (रुपये छह लाख बत्तीस हजार छह सौ सत्ताइस पैसे इंक्यानवे मात्र)	तिथि 09.10.2025 समय दोपहर 1.10 बजे प्रतीकात्मक कब्जा

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण- मकान संख्या 41 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 3760 वर्ग फुट (349.44 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. पीएच संख्या 45 (सरल संख्या 2124), ग्राम पंचायत बुडानगांव, तहसील सोनकच्छ और जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर, ग्राम बुडानगांव में स्थित है. पूर्व में- गोविंद सिंह, पश्चिम में- आम सड़क, उत्तर में- स्वयं की भूमि और दक्षिण में- रुगेंद्र सिंह द्वारा घिरा हुआ.

2.	45539420004442 और 45539430001995	1) श्री बिप्लब बनिक पुत्र दुलाल बनिक 2) श्रीमती शताब्दी बनिक पत्नी बिप्लब बनिक	21.07.2025 13.07.2025 तक रु. 15,71,342.81 (रु. पन्द्रह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ बयालीस और पैसे इक्यासी मात्र)	दिनांक 08.10.2025 समय प्रात: 10.35 बजे प्रतीकात्मक कब्ज़ा

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण- आवासीय मकान का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 625 वर्ग फुट (58.06 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, वार्ड क्रमांक 14 (पुराना), नया 16, बजरंग नगर कॉलोनी, नगर पालिका पीथमपुर, तहसील एवं जिला धार (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. सीमा- पूर्व - संजय दीक्षित का मकान, पश्चिम- इस मकान का शेष भाग, उत्तर- तोमर साब का मकान और दक्षिण- कॉमन रोड.

3.	45539420004850	1) श्री प्रकाश गुजवार पुत्र दौलतराम गुजवार 2) श्रीमती संगीता गुजवार पत्नी प्रकाश	21.07.2025 13.07.2025 तक रु. 15,45,540.21 (रु. पन्द्रह लाख पैंतालीस हजार पांच सौ चालीस और पैसे इक्कीस मात्र)	दिनांक 09.10.2025 समय प्रात: 08.30 बजे प्रतीकात्मक कब्ज़ा

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण- भूखंड संख्या 246 का भाग संख्या बी वाला समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट है (41.82 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, अरिहंत नगर एक्सटेंशन, ग्राम जम्बूर्डी हप्सी, तहसील हातोद एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है. पूर्व में- प्लॉट संख्या 245, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- प्लॉट संख्या 246 का शेष भाग संख्या सी और दक्षिण में- प्लॉट संख्या 246 का शेष भाग संख्या ए.

4.	30609610000056 और 45539410000822	1) श्री शाहिद शेख पुत्र मुबारिक शेख 2) श्रीमती शीबा शेख पत्नी शाहिद शेख 3) श्रीमती शमीम शेख पत्नी मुबारिक शेख	24.07.2025 13.07.2025 तक रु. 12,77,449.60 (रु. बारह लाख सतहत्तर हजार चार सौ उन्नचास और पैसे साठ मात्र)	दिनांक 09.10.2025 समय दोपहर 03.10 बजे प्रतीकात्मक कब्ज़ा

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण- सर्वेक्षण संख्या 41 और 43 के भाग पर निर्मित मकान के पूर्वी हिस्से का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट (125.46 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. यह पुष्पकुंज कॉलोनी, ग्राम इटावा, पीएच संख्या 19 (पुराना) नया 42, वार्ड संख्या 05, सरल संख्या 275 (गाइडलाइन के अनुसार) तहसील और जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है. सीमा- पूर्व में- कॉलोनी रोड, पश्चिम में- इस मकान का शेष भाग, उत्तर में- इस प्लॉट का शेष भाग तथा दक्षिण में- देवीसिंह जी की भूमि.

जबकि यहां उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता उपरोक्त देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए ऋणी को नोटिस दिया जाता है. ऊपर विशेष रूप से और आम जनता के लिए उल्लेख किया गया है कि अधिकृत जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकारी ने कब्जा ले लिया है. प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे उपर्युक्त. उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता इसमें ऊपर विशेष रूप से और आम तौर पर जनता को लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है. उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों और उक्त संपत्तियों के साथ किसी भी लेन-देन/ सुरक्षित संपत्तियां जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होंगी.

स्थान: इन्दौर — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 10.10.2025 — **कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)
रजिस्टर्ड आफिस: द फेयरवे, ग्राउंड व प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2 बी, ऑफ डोलमुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071. **ब्रांच आफिस-** प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड — Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
उज्जैन शाखा: 06 / प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	लोन नं. 02010000686/ उज्जैन शाखा) अशोक रामचन्द्र (ऋणी) सुमित्रा अशोक शर्मा (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नंबर 74 जीएफ मकान नंबर 226/1 घोसला रोड ग्राम भीमाखेड़ा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश 456443 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - बद्रीलाल पिता रामचन्द्र का मकान, पश्चिम - कन्हैयालाल पिता पुना जी का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण - कमला बाई का मकान	12-05-2025 एवं ₹ 7,71,979/-	09-10-2025

स्थान : मध्य प्रदेश — **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक :10-10-2025 — **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

PAPER PUBLICATION

In the Debts Recovery Tribunal, At Jabalpur
(Jurisdiction Madhya Pradesh & Chhattisgarh)
2nd & 3rd FLOOR, SANCHAR VIKAS BHAVAN (BSNL BUILDING), NEAR HEAD POST OFFICE, RESIDENCY ROAD, SOUTH CIVIL LINES JABALPUR (M.P.) 482001.

Summon under Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, read With Sub-rule (2A) of Rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

ORIGINAL APPLICATION NO. 113 OF 2025

INDIAN BANK .... **APPLICANT**
VERSUS
Mr. ATMARAM MANDLOI THROUGH ITS LEGAL HEIRS & ORS .... **RESPONDENTS**

1. **The estate of the deceased Mr. Atmaram Mandloi Represented by Mr